1/9/22 पत्रावली- आप्त- प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र पर
प्रस्तुति - प्रार्थिया मय अधिवक्ता उपस्थित
प्रार्थिया ने निवेदन किया कि उक्त प्रार्थना
पत्र 212 RTA को चलाना नहीं चाहती हैं
एवं सीधे स्तर पर निस्तारण किया जावे।

हमने प्रार्थिया मय वकील को सुना।
गवाह प्रार्थिया स्वेच्छा से प्रार्थना पत्र 212
RTA को आगे चलाना नहीं चाहती हैं सीधे सीधे
स्तर पर निस्तारण चाहती हैं अतः प्रार्थिया
का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र
212 RTA सीधे स्तर पर निस्तारण किया जाता है
पत्रावली तत्काल दाखिल दफ्तर हो।

01/09/22

सहायक कलक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Bansal
Date: 2022.10.06 16:06:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner